2024|207

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री प्रमोद पुरोहित
निवासी दांतराई
तहसील रेवदर
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार रेवदर

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 33 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.07.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 12.06.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 03.12.2021 को तहसील कार्यालय रेवदर से ग्राम दांतराई की गोचर भूमि से सम्बन्धित आदेश निकला था वर्तमान में उक्त गोचर भूमि की क्या स्थिति है, से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 12.06.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 03.12.2021 को तहसील कार्यालय रेवदर से ग्राम दांतराई की गोचर भूमि से सम्बन्धित आदेश निकला था वर्तमान में उक्त गोचर भूमि की क्या स्थिति है, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner